राजनीतिक दलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की आवश्यता

लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक दलों की विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि गैर सरकारी होने के बावजूद वह सीधे या परोक्ष रूप से सरकार को प्रभावित करते हैं।

हांलाकि राजनीतिक दल हमेशा अपने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेह होने का दावा करते हैं लेकिन सच्चाई बहुत अलग है। निर्वाचन आयोग में दायर किया गया चंदे का ब्यौरा और आयकर रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि राजनीतिक दलों की आय 75 प्रतिशत अज्ञात स्रोतों से आती है। विश्व के मात्र 10 प्रतिशत देशों में यह अनुमति है कि राजनीतिक दल व उम्मीदवार अज्ञात दान प्राप्त कर सकते हैं और भारत उनमें से एक है। इस संदर्भ में पारदर्शिता का महत्व और भी बढ़ जाता है।

Computation of Tax on Total Income

The following figures show the tax payable (2006 to 2009) by respective parties had there been no exemption provided owing to provisions of section 13 A of the Income Tax Act

Political Party	Tax Payable	Total Income
BJP	Rs.141.25 crores	426.30 crores
INC	Rs.300.92 crores	887.07 crores
BSP	Rs.39.84 crores	298.83 crores
CPI(M)	Rs. 18.13 crores	185.93 crores
CPI	Rs. 0.24 crores	3.15 crores
NCP	Rs. 9.64 crores	73.19 crores
Total	**Rs. 510.02 crores**	**1874.47 crores**

राजनीतिक दल काफी हद तक सरकार के पैसों से पोषित होते हैं और आयकर अधिनियम की धारा 13ए के तहत सरकार की और से उनकी आय पर 100 प्रतिशत की कर छूट भी प्राप्त है। हम देखते हैं कि इनकी आय का 75 प्रतिशत से अधिक भाग अज्ञात स्रोतों से आता है। इस सवाल की गंभीरता और भी बढ़ जाती है कि यह धन वास्तव में आता कहाँ से है। इन दलों के वित्तपोषण से संबधित निहित स्वार्थों और प्रतिदानों पर काफी शैक्षनिक रूचि दिखाई गई है। सार्वजनिक नीति और प्रशासन राजनीतिक दलों से प्रभावित होते हैं, और इसलिए इन दलों से संबधित सारी जानकारी का सार्वजनिक क्षेत्र में होना अत्यधिक ज़रूरी है।

दलों की पारदर्शिता और आम जनता की ओर उनकी जवाबदेही मौजूदा नियमों के अनुपालन द्वारा भी सुनिश्चित किया जा सकता है। सीआईसी में 3 जून 2013 को एक ऐतिहासिक फैसले में यह निर्देश दिया गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राजनीतिक दल लोक प्राधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और इसके अंतर्गत दलों को सीपीआईओ नियुक्त करने का निर्देश दिया। लेकिन इस फैसले के 20 महीने बाद भी 6 में से किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने इसका पालन नहीं किया है। आयोग ने फिर 21 नवम्बर 2014 को और उसके पश्चात 7 जनवरी 2015 को गैर अनुपालन के लिए इन सभी दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया लेकिन सभी दल दोनों ही सुनवाई में अनुपस्थित थे।

Degree of Compliance to Existing Regulations

Political Parties were required to file their **Lok Sabha** election expenditure by the **13th of August, 2014** i.e. 90 days from the election result date.

The ECI received the information on the following dates:

Political Party	Date Received	Days Late
BJP	12th Jan, 15	146 days late
INC	22nd Dec, 14	130 days late
BSP	8th Aug, 14	before time
CPI(M)	25th Aug, 14	12 days late
CPI	27th Oct, 14	74 days late
NCP	22nd Aug, 14	9 days late

बहुत्तर पारदर्शिता राजनीतिक दलां के हित में क्यों है?

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में राजनीतिक दलों का ही फायदा है क्योंकि अपारदर्शी वित्त, गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे लोगों को टिकट देना और चुनाव अभियान के अलावा दलों तक जनता की आवाज़ पहुंचाने की दुर्गमता की वजह से जनता में उनका विश्वास बहुत कम हो गया है।

इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी और समग्रता आपस में बारीकी से जुड़ा हुआ है। कैसे एक दल अपने उम्मीदवारों और पदाधिकरियों का चयन करती है, किस हद तक पार्टी सदस्य पार्टी के फैसलों में शामिल किये जाते हैं और कैसे पार्टी अपने कार्यक्रमों और नितियों को परिभाषित करती है यह सब इंट्रा पार्टी लोकतंत्र का ज़रूरी हिस्सा है। जवाबदेही की माप दो चीजों के तहत तय किया जा सकता है। पहला, किसी भी पार्टी का वास्तिक संगठन और उसकी गतिविधियां किस हद तक उसके संविधान का पालन करता है और कैसे पार्टी का घोषणापत्र सरकार में आने के बाद के उसके प्रर्दशन में परिलक्षित होता है।

इंट्रा पार्टी लोकतंत्र आम नागरिकों और सरकार को जोड़ने की क्षमता रखता है। जो दल इसका पालन करेंगे उनका तो फायदा होगा ही साथ ही पूरे लोकतंत्र की स्थिरता और वैधता भी बढ़ेगी। दलों के अंदर प्रतियोगिता, भागीदारी और प्रतिनिधित्व लाने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राजनीतिक दलों में प्रचलित श्रेणीवद्धता और वंशवाद के प्रति नागरिक अंसतोष पर काफी शैक्षणिक रूचि दिखाई गई है। दलों में आंतरिक लोकतंत्र बढ़ाने से विचारों का मिश्रण होगा और साथ ही पार्टी के सदस्यों को प्रोत्साहन भी मिलेगा।

एडीआर यह उम्मीद करती है कि यह पैनल चर्चा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों को मंच प्रदान करेगा ताकि राजनीतिक दलों की जवाबदेही व पारदर्शिता और अन्य संबधित मुद्दों पर जांच व चर्चा हो

सके। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग, राजनीतिक दल खुद में लोकतांत्रिक हों।